

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. 1460/स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 09/04/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री गणेश राम बेनर्जी, पिता- श्री गोविन्द राम (अनुसूचित जाति वर्ग) को निम्न वर्ग लिपिक के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1900/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 5680/- + ग्रेड वेतन 1900/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चंद्राकर)

कुलसचिव



रायपुर, दिनांक 09/04/2013

पृ. क्र. 1461/स्था./सा.प्रशा./13

प्रतिलिपि :-

1. श्री गणेश राम बेनर्जी, श्री गोविन्द राम, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, पी.एम.जी.एस.वाय. जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.) को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)



हउ / प्रभारी (कम्प्यूटर विभाग में 2013)
कु. वकिलदार में अपरोक्ष कर 14
(कुल-04)
09/04/13

1461/स्था./सा.प्रशा./13
09-04-2013

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. 1456 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 09/04/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री योगेश कुमार ध्रुव, पिता- श्री रामनारायण ध्रुव (अनुसूचित जनजाति वर्ग) को निम्न वर्ग लिपिक के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1900/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 5680/- + ग्रेड वेतन 1900/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

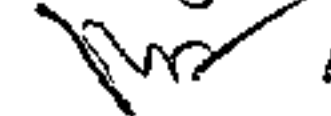
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

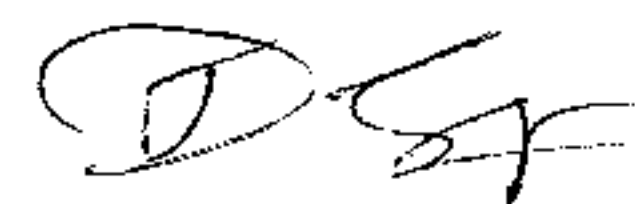
कुलसचिव



रायपुर, दिनांक 9/04/2013

पृ. क्र. 1456 /स्था./सा.प्रशा./13
प्रतिलिपि :-

1. श्री योगेश कुमार ध्रुव, पिता- श्री रामनारायण ध्रुव, 5/286, जी.आर.पी. पुलिस लाईन, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.) 492001 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. 1454 /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 09/04/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री रणजीत सिंह रात्रे, पिता- श्री भुख्वा दास रात्रे (अनुसूचित जाति वर्ग) को निम्न वर्ग लिपिक के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1900/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 5680/- + ग्रेड वेतन 1900/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

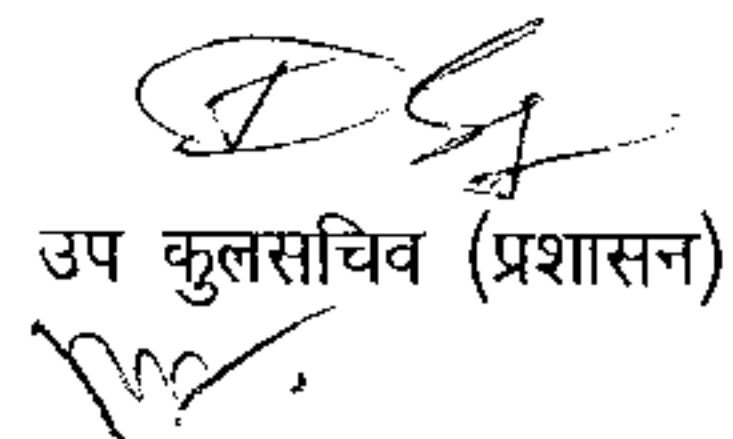
कुलसचिव



रायपुर, दिनांक 09/04/2013

पृ. क्र. 1455 /स्था./सा.प्रशा./13
प्रतिलिपि :-

1. श्री रणजीत सिंह रात्रे, पिता- श्री भुख्वा दास रात्रे, ग्राम-पोस्ट - मोपका, ब्लाया- भाटापारा, जिला- रायपुर (छ.ग.) 493118 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. 1458/स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक 09/04/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री श्री विक्रांत गोंडाने, पिता- श्री एम.डी. गोंडाने (अनारक्षित वर्ग) को निम्न वर्ग लिपिक के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 1900/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 5680/- + ग्रेड वेतन 1900/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

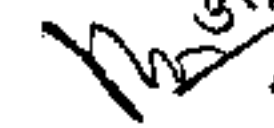
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चंद्राकर)

कुलसचिव



पृ. क्र. 1459/स्था./सा.प्रशा./13
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 09/04/2013

1. श्री विक्रांत गोंडाने, पिता- श्री एम.डी. गोंडाने, सिविल लाईन, माहुरबंद पारा, कांकेर, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) 494334 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप. कुलसचिव (प्रशासन)

